(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2990–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 41/अपील/2013–14

.....

1–दुर्गाप्रसाद मेवाडा आत्मज श्री जगन्नाथ मेवाडा
2–श्रीमती शारदा मेवाडा पत्नी दुर्गाप्रसाद मेवाडा
निवासीगण 9/34 एम.ए.एन.आई.टी.कैम्पस्
भोपाल मध्यप्रदेश

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–दुर्गाप्रसाद प्रजापति आत्मज श्री कल्याणजी प्रजापति
निवासी ग्राम बोरदा तहसील हुजूर जिला भोपाल
2–कृष्णाबाई बेवा स्वर्गीय श्री शैतानसिंह
3–अनुपसिंह आत्मज स्व0श्री शैतानसिंह
4–धनरूप आत्मज स्व.श्री शैतानसिंह
5–रूपसिंह आत्मज स्व0श्री शैतानसिंह
6–सुमनबाई पुत्री स्व.श्री शैतानसिंह
7–लूमाबाई पुत्री स्व0श्री शैतानसिंह
8–बबली बाई पुत्री स्व.श्री शैतानसिंह
सभी निवासीगण ग्राम बोरदा तहसील हुजूर जिला भोपाल
9–सदरूउददीन आत्मज गुलाब खॉ
ग्राम इनायतपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल
10–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्रीमती अनुपमा गर्ग, अभिभाषक–आवेदक
श्री दिलीप बलवानी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री बी0एन0कोचर, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2 लगायत 9

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–6–09 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 3–10–2013 को लगभग साढे तीन वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी इसलिये अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24–6–16 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया है । अनावेदक कमांक 1 के इस कथन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 द्वारा आदेश में त्रुटि सुधार हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया परन्तु उनके द्वारा टालमटोल की गई । इससे स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 को आदेश की जानकारी पूर्व से थी ।

(2) अनावेदक कमांक का प्रश्नाधीन भूमि पर कभी भी आधिपत्य रहा है और ना ही उसके द्वारा कय की गई है और आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन एवं संहिता की धारा 52 के आवेदन पत्र में संयुक्त रूप से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है इसलिये जानकारी के दिनांक से उनके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष विलम्ब का स्पष्टतः समाधानकारक कारण दर्शाया गया था कि राजस्व प्रपत्रों की जानकारी लेने पर उन्हें विचारण न्यायालय के आदेश के जानकारी हुई ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं किया जाना चाहिये इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया अनावेदक ने विक्रय पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की है । जिस आदेश को उसने चुनौती दी है वह उसमें पक्षकार नहीं था, जबकि उसका विक्रय पत्र उस आदेश से पहले का है । अतः न्यायहित में उसका पक्ष सुना जाना श्रेयस्कर होगा । अतः अनुविभागीय अधिकरी द्वारा अपील सही समय सीमा में मान्य की है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर